उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास विभाग
संख्या 1026/VII-1/2015/68–रिट/2008
देहरादून: दिनांक: 31 जुलाई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित तथा भविष्य में स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजरों को अनुज्ञा दिए जाने में पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन की रोकथाम, प्रदेश के जन साधारण को प्रदूषण मुक्त वातावरण दिए जाने एवं ऐसी इकाईयों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कार्यालय ज्ञाप संख्या 2912/VII-II-11/68–रिट/2008 दिनांक 18 नवम्बर 2011 द्वारा उत्तराखण्ड के मैदानी क्षेत्र हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लवराईजर अनुज्ञा नीति–2011 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 2920/VII-II-11/68–रिट/2008 दिनांक 18 नवम्बर 2011 द्वारा उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लवराईजर अनुज्ञा नीति–2011, प्रख्यापित की गयी है।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 27/2012 भिलेजर्स ऑफ कमोला व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य, जनहित याचिका संख्या 458/2008 केवलानन्द कबडवाल बनाम उत्तराखण्ड एवं जनहित याचिका संख्या 141/2013 केवल किशोर शर्मा एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, जनहित याचिका संख्या 97/2013 निवासी न्यू फ्रेन्डस कालोनी, जोशी विहार, गौजाजाली, नार्थ हल्द्वानी–नैनीताल बनाम राज्य व अन्य आदि में पारित विभिन्न आदेशों में मा0 न्यायालय द्वारा स्टोन क्रेशर नीति को पुनरीक्षण किये जाने की राज्य सरकार से अपेक्षा की गयी है।

अतः अब उक्त क्रम में राज्यपाल खनिज विकास एवं राजस्व हित में उत्तराखण्ड के मैदानी क्षेत्र हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लवराईजर अनुज्ञा नीति–2011, उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लवराईजर अनुज्ञा नीति–2011 अधिक्रमित करते हुए निम्नवत स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर अनुज्ञा नीति– 2015 प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर अनुज्ञा नीति– 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर अनुज्ञा नीति–2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं — 2. जब तक इस नीति में अन्य कोई बात अपेक्षित न हो—

(क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) "कलक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ)''आयुक्त'' से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड.) ''स्थानीय अधिकारी''से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी, जो कमशः नगर पंचायत नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा न्यस्त है;

(च) ''व्यक्ति'' के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं सम्मिलित है;

(छ) पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र -क):– के अंतर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं पिथौरागढ सम्मिलित है;

(ज) मध्य पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र -ख):– के अंतर्गत जिला टिहरी गढवाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौडी गढवाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग छोडकर), अल्मोडा (सम्पूर्ण भाग) चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग छोडकर), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) सम्मिलित है;

(झ) मैदानी क्षेत्र (क्षेत्र -ग):– के अंतर्गत जिला टिहरी गढवाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौडी गढवाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), जिला हरिद्वार एवं जिला उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग, सम्मिलित है;

(ञ) ''शब्द और पद' जो परिभाषित नही है परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उक्त अधिनियम में दिये गये है।

मोबाईल स्टोन केशर 3. मोबाईल स्टोन केशर बी0आर0ओ0, आई0टी0बी0पी0 एवं अन्य सरकारी विभागों के नाम से पर्वतीय एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष कार्यों हेतु अधिकतम 12 माह की अवधि तक स्वीकृत किये जायेंगे। मोबाईल स्टोन केशर उस स्थान पर स्थापित किये जायेंगे, जहां 20 कि0मी0 तक कोई अन्य स्टोन केशर स्थापित/संचालित न हो। ठेकेदार के नाम से अब कोई आवंटन नहीं करते हुए मोबाईल स्टोन क्रेशर केवल सरकारी संस्था द्वारा आवेदन करने पर उनके नाम से जारी किये जायेंगे तथा

मोबाईल स्टोन क्रेशर से निकलने वाले उत्पाद का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जायेगा।

स्थल चयन हेतु समिति

4\. स्थल चयन एवं स्थल की जांच हेतु निम्नवत् एक समिति का गठन किया जायेगा :–

- प्रस्तावित कार्यरत सयंत्र क्षेत्र का उप जिलाधिकारी –**अध्यक्ष।**
- संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी या उसका प्रतिनिधि –**सदस्य।**
- उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि –**सदस्य।**
- भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स कार्यालय का प्रतिनिधि –**सदस्य।**
- संबंधित खान अधिकारी/खान निरीक्षक –**सदस्य सचिव।**

स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर हेतु मानक

5\. स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर हेतु निम्नलिखित मानक होंगे–

क्र0सं0	स्थान	पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र -क) हेतु संयंत्र से न्यूनतम दूरी मीटर में		मध्य पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र -ख) हेतु सयंत्र से न्यूनतम दूरी मीटर में		मैदानी क्षेत्र (क्षेत्र -ग) हेतु संयत्र से न्यूनतम दूरी मीटर में	
1	2	3		4		5	
		स्टोन केशर/ स्कीनिंग प्लान्ट	पल्वराईजर	स्टोन केशर/ स्कीनिंग प्लान्ट	पल्वराईजर	स्टोन केशर/ स्कीनिंग प्लान्ट	पल्वराईजर
1.	सरकारी वन	10 मीटर	—	50 मीटर	50 मीटर	100 मीटर	100 मीटर
2.	(क) नदी (Perennial River) के किनारे से	—	—	50 मीटर	50 मीटर	300 मीटर	100 मीटर
	(ख) वर्षाती नदी, नाला, गधेरा के किनारे से	—	—	25 मीटर	25 मीटर	50 मीटर	100 मीटर
3.	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि)	25 मीटर	25 मीटर	50 मीटर	50 मीटर	300 मीटर	100 मीटर
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम	50 मीटर	50 मीटर	100 मीटर	100 मीटर	300 मीटर	100 मीटर

5.	आवासीय भवन एक परिवार का एक मकान/एक से अधिक परिवार का मकान	50 मीटर	50 मीटर	100 मीटर	100 मीटर	300 मीटर	100 मीटर

टिप्पणीः—

(क) मोबाईल स्टोन क्रेशर की स्थापना के सम्बन्ध में दूरी हेतु पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र -क) के मानक लागू होंगे।

(ख) गठित समिति किसी भी दशा में शिथिलीकरण की संस्तुति नहीं करेगी।

दून वैली क्षेत्र में स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना 6. जिला देहरादून के दून वैली क्षेत्र में स्टोन क्रेशर प्रदूषण युक्त होने के कारण स्थापित नहीं किये जायेंगे परन्तु स्कीनिंग प्लान्ट जिनके द्वारा आर0बी0एम0 (बालू, बजरी एवं बोल्डर मिश्रित रूप में) की धुलाई कर बालू, बजरी एवं बोल्डर को स्कीनिंग कर पृथक–पृथक किया जाता है, की अनुज्ञा इस नीति की व्यवस्था के अनुसार प्रदान की जा सकेगी।

स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर इकाई हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल एवं क्षमता 7. स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर इकाई हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल एवं क्षमता निम्नवत् होगी–

क्र0सं0	सयंत्र	पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र -क) हेतु संयंत्र से न्यूनतम क्षेत्रफल हैक्टेयर में	मध्य पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र -ख) हेतु सयंत्र से न्यूनतम क्षेत्रफल हैक्टेयर में	मैदानी क्षेत्र (क्षेत्र -ग)हेतु संयत्र से न्यूनतम क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1	2	3	4	5
1.	**स्टोन क्रेशर**	0.02 हैक्टेयर (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	1.00 हैक्टेयर (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	2.0 हैक्टेयर (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)
		प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 0.02 हैक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)	प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 0.25 हैक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)	प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 1/2 हैक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)
2.	**स्कीनिंग प्लान्ट**	0.01 हैक्टेयर (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	1.00 हैक्टेयर (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	2.0 हैक्टेयर (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)

		प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 0.01 हैक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)	प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 0.25 हैक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)	प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 1/2 हैक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)
3.	पल्वराईजर	0.01 हैक्टेयर (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	0.5 हैक्टेयर (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	1.00 हैक्टेयर (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)
		प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 0.01 हैक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)	प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 0.25 हैक्टेयर ·अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)	प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 1/2 हैक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)

स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर हेतु आवेदन के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जाना

8. स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने के 03 दिन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र जिसका क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार हो, में स्वयं के व्यय पर विज्ञप्ति जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि जो निर्धारित दूरी के अन्तर्गत आता हो तथा उक्त स्थल पर स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर स्थापित/संचालन किये जाने से प्रभावित हो अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को प्रस्तुत करेगा। उक्तानुसार प्रकाशन के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है तो उक्त आवेदन पत्र के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए संस्तुति जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी, जिसे सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निदेशक को संस्तुति सहित प्रेषित किया जायेगा तदोपरान्त निदेशक द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर हेतु आवेदन एवं आवेदन शुल्क/ नवीनीकरण शुल्क

9. स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर हेतु आवेदन एवं आवेदन शुल्क/नवीनीकरण शुल्क निम्नवत होगा—

क्र0सं0	सयंत्र	पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र–क) हेतु आवेदन/नवीनीकरण शुल्क	मध्य पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र–ख) हेतु आवेदन/नवीनीकरण शुल्क	मैदानी क्षेत्र (क्षेत्र–ग) हेतु आवेदन/नवीनीकरण शुल्क
1	2	3	4	5
1.	स्टोन क्रेशर	₹ 2.50 लाख (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	₹ 5.00 लाख (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	₹ 10.00 लाख (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)
		₹ 50,000.00 (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	₹ 1.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	₹ 2.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)
	स्क्रीनिंग प्लान्ट	₹ 1.00 लाख (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	₹ 2.50 लाख (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	₹ 10.00 लाख (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)
		₹ 10,000.00 (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	₹ 50,000.00 (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	₹ 2.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)
	पल्वराईजर	₹ 2.00 लाख (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	₹ 5.00 लाख (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	₹ 10.00 लाख (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)
		₹ 10,000.00 (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	₹ 50,000.00 (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	₹ 2.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)

टिप्पणी— मोबाईल स्टोन क्रेशर हेतु आवेदन शुल्क ₹ 1,00,000.00 (एक लाख) क्षमता प्रतिदिन 200 टन तथा प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त ₹ 50,000.00 देय होगा।

स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर एवं मोबाईल स्टोन क्रेशर की स्थापना/संचालन हेतु आवेदन शुल्क/नवीनीकरण शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक 0853–अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में जमा करा कर आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर तीन प्रतियों में जिसमें क्षेत्र का राजस्व मानचित्र एवं साईट प्लान जिसमें प्रस्तावित सयंत्र

का ब्यौरा अंकित हो, जिलाधिकारी, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं सम्बन्धित जनपद के उप निदेशक खनन कार्यालय में जमा किया जायेगा।

स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर एवं मोबाईल स्टोन क्रेशर की स्थापना/संचालन से प्राप्त होने वाले राजस्व प्राप्ति का लेखा–जोखा का विवरण उप निदेशक, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के कार्यालय में रखा जायेगा। उप निदेशक, खनन द्वारा राजस्व प्राप्ति का लेखा–जोखा का त्रैमासिक विवरण निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को प्रेषित किया जायेगा तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा राजस्व प्राप्ति का वार्षिक लेखा–जोखा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर/मोबाईल स्टोन क्रेशर में कच्चेमाल/ तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन

10. (क) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर/मोबाईल स्टोन क्रेशर में कच्चेमाल/ तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन करना होगा। जिसके अभिलेखों एवं भण्डारणों का परीक्षण जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/ ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत जनपद) द्वारा किया जायेगा।

(ख) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट परिसर में न्यूनतम 15 फीट की ऊंचाई के चार दिवारी के अन्दर 13 फीट से अधिक ऊंचाई तक कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण नही किया जायेगा, यदि कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण की ऊचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी पर रूपये दो लाख तक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(ग) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/प्लवराईजर/मोबाईल स्टोन क्रेशर प्लान्ट के स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रवेश व निकासी गेटो पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकांटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वंय के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिकोंडिंग की सी0डी0 प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार शासन को सूचित किया जायेगा।

(घ) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/प्लवराईवजर/मोबाईल स्टोन क्रेशर प्लान्ट एवं मोबाईल स्टोन क्रेशर के स्वामी के द्वारा कय किये गये उपखनिज आर0बी0एम0 एवं कश्ड कर विकित किये गये ग्रिट आदि की मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह जिलाधिकारी

कार्यालय, वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालयों में प्रस्तुत करेगा। मासिक विवरणी प्रस्ततु न करने पर स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/प्लवराईवजर/मोबाईल स्टोन केशर प्लान्ट के स्वामी पर प्रतिमाह रू0 5000/– का अर्थदण्ड देय होगा।

(ड.) स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट संचालकों द्वारा बालू या बजरी या बोल्डर या उसके उत्पाद (अर्थात् कच्चा माल/पक्का माल) परिवहन/निकासी करने पर उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित) में प्राविधानित बालू या बजरी या बोल्डर की रायल्टी के समतुल्य का 2 प्रतिशत निर्धारित लेखाशीर्षक 0853–अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में अतिरिक्त रूप से पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा किया जाना अपरिहार्य होगा।

(ट) पल्वराईजर संचालकों द्वारा सोपस्टोन एवं अन्य खनिज (लाईम स्टोन आदि) या उसके उत्पाद (अर्थात् कच्चा माल/पक्का माल) परिवहन/निकासी करने पर उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 में प्राविधानित सोपस्टोन की रायल्टी के समतुल्य का 5 प्रतिशत निर्धारित लेखाशीर्षक 0853–अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में अतिरिक्त रूप से पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा किया जाना अपरिहार्य होगा।

11. स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर/मोबाईल स्टोन केशर के स्वामी के दायित्व

(1) (क) स्टोन केशर प्लान्ट/स्कीनिंग प्लान्ट सयंत्र (Equipment) परिसर की चारदीवारी (Boundary wall) के अन्दर मध्य में स्थापित होना चाहिए।

(ख) पल्वराईजर सयंत्र (Equipment) परिसर की चारदीवारी (Boundary wall) के अन्दर बन्द कमरे में स्थापित होना चाहिए।

(2) स्टोन केशर प्लान्ट/स्कीनिंग प्लान्ट इकाई के चारो तरफ कम से कम 15 फीट ऊँची चार दीवारी का निर्माण इकाई की परिधि में किया जाना होगा। न्यूनतम 15 फीट की ऊँचाई की चार दीवारी के अन्दर अधिकतम 13 फीट ऊँचाई तक कच्चे माल या तैयार माल का भण्डारण किया जा सकेगा। यदि इकाई परिसर में 13 फीट से अधिक ऊँचाई के तैयार व कच्चे माल के भण्डारण की आवश्यकता है, तो चार

दीवारी की ऊँचाई उक्त ऊँचाई से 2 फीट प्रति 1 फीट कच्चे व तैयार माल की ऊँचाई के अनुसार बढ़ाई जानी होगी। चार दीवारी की डिजाईन सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जानी होगी। जिससे की चार दीवारी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ऊँचाई का सत्यापन खान अधिकारी/खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत जनपद के लिए) एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।

(3) स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर/ मोबाईल स्टोन केशर से धूल के कणों का उत्सर्जन को रोकने की विधि (Dust Extractors) या धूल के कणों को हवा में उड़ने से रोकने की विधि का प्रभावी उपयोग उत्पादन क्षमता के अनुरूप उपयोग करना होगा।

(4) ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु स्टोन केसिंग सयंत्र को बन्द दो दीवारों वाले चैम्बर में स्थापित किया जाना होगा।

(5) स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन केशर के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।

(6) स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन केशर की सीमा के अंदर सम्पूर्ण क्षेत्र में धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव किये जाने की व्यवस्था करनी होंगी जिससे कि धूल के कण हवा में न उड़ सकें।

(7) स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन केशर इकाई की चार दिवारी के अंदर कम से कम 07 से 10 मी0 चौड़ी तीन कतारों में चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ो की हरित पट्टी का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा यथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रकिया संयत्र चालू करने के समय अवधि 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।

(8) स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर/ मोबाईल स्टोन केशर स्वामी द्वारा धूल व ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण में उपयोग होने वाली विधियां एवं उपकरण अपने स्वंय के खर्च पर स्थापित करने होगें। धूल व ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण विधियों को स्टोन केशर प्लान्ट में अनवरत कार्यरत रखने की जिम्मेदारी प्लांट स्वामी की होगी।

(9) स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर/मोबाईल स्टोन केशर स्वामी द्वारा कच्चे या तैयार माल भण्डार

की सतह जो वायु प्रदूषण करती है। वायु प्रदूषण को रोके जाने हेतु प्लान्ट स्वामी को व्यवस्था की जानी होगी।

(10) स्टोन क्रेशर, स्कीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर की अनुज्ञा समाप्त होने की तिथि से 06 माह पूर्व निर्धारित शुल्क सहित नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जाना होगा। तदोपरान्त जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जायेगी।

ध्वनि प्रदूषण के मानक

12. स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर/मोबाईल स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी प्रख्यापित आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर/मोबाईल स्टोन क्रेशर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण

13. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 अनुपालन हेतु स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट/ पल्वराईजर/मोबाईल स्टोन क्रेशर में धूल उत्सर्जन (SPM) नियंत्रण एवं वर्णित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं वायु गुणवत्ता, ध्वनि मापन मानकों के अनुसार मासिक रिपोर्ट एवं उपकरणों के रख–रखाव की रिपोर्ट प्रत्येक माह में स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर के स्वामियों को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विश्लेषण एवं परीक्षण कर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर/मोबाईल स्टोन क्रेशर अनुज्ञा की स्वीकृति

14. (क) उप जिलाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, खान अधिकारी/खान निरीक्षक, भूवैज्ञानिक, क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण एव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित होने वाले एवं नवीनीकरण होने वाले स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर/मोबाईल स्टोन क्रेशर हेतु सदस्य सचिव के माध्यम से समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर चयनित स्थल की रिपोर्ट सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा उक्तानुसार संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन स्तर से अनुज्ञा स्वीकृति दिये जाने हेतु शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर आवश्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।

(ख) शासन द्वारा निजी नाप भूमि में व्यवसायिक प्रयोजन हेतु स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्वराइजर/मोबाईल स्टोन क्रेशर अनुज्ञा तथा भण्डार

स्थल की स्वीकृति सक्षम स्तर से निर्गत होने के उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारियों को प्रेषित की जायेगी। ऐसी अनुज्ञा के उपरान्त स्थल पर ऐसी योजना के पूर्ण हो जाने या भण्डार स्थल की दशा में उसका उपयोग प्रारम्भ हो जाने पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त और समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा–143 के अधीन सम्बन्धित परगनाधिकारी द्वारा इसे स्वतः दर्ज किया जायेगा।

(ग) उत्तराखण्ड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(घ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इण्टरप्राईजेज एक्ट (MSME) के अधीन जिला उद्योग केन्द्र में रिटर्न दाखिल करना होगा।

(ड.) वर्तमान में चालू स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर/मोबाईल स्टोन क्रेशर भी उक्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(च) पूर्व से चल रहे स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर/मोबाईल स्टोन क्रेशर को नये स्थान पर जून, 2016 तक स्थानान्तरित करना होगा। उक्त अवधि के अन्दर यदि वे उक्त इकाईयों को स्थानान्तरित नहीं करते है तो उनकी अनुज्ञा का नवीनीकरण अग्रेत्तर नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of '**the Constitution of India**', the Governor pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1026, Dehradun, dated: 31/7/2015 for general information.

Government of Uttarakhand
Industrial Development Section
No. 1026/VII-1 /2015/68-writ/ 2008
Dehradun, Dated : 31 July, 2015

Notification

The Uttarakhand Stone Crasher, Screening Plant, Pulverizer, Mobile Stone Crasher Permit Policy- 2011 for hill area of the Uttarakhand by office memorandum number 2920/ VII-II - 2011/68-writ/ 2008 dated 18 November, 2011 and the Uttarakhand Stone Crasher, Screening Plant, Pulverizer, Mobile Stone Crasher Permit Policy- 2011 for plain area of the Uttarakhand by office memorandum number 2912/ VII-II -2011/68-writ/ 2008 dated 18 November, 2011is promulgated for conduct as a reasonable to such unites and pollution free atmosphere to the general public of the State, to prevent illegal mining, to protect pollution for giving permission stone crasher, screening plant and pulverizers to established an in future in the State of Uttarakhand.

The Hon'ble High court at Nainital has passed various orders in the public intrest litigation number 27/2012 villagers of Kamola and Others verses Union of India and others, public intrest litigation number 458/2008 Kewala Nand Kabadwal Verses Uttarakhand and, public intrest litigation number 141/2013 Kewal Kishore Sharma and others Verses Uttarakhand State and others and , public intrest litigation number 97/2013 resident of New Friends Colony, Joshi Vihar Goja Jali, North Haldwani, Nainital Verses State and others etc. and required to the State Government that the stone crasher policy should be revised as per order passed by the Honb'le High court Nainital.

Now therefore in continuation of aforesaid, the Governor is pleased to promulgate the Stone Crasher, Screening Plant, Pulverizer, Mobile Stone Crasher Permit Policy-2015 in supersession of the Uttarakhand Stone Crasher, Screening Plant, Pulverizer, Mobile Stone Crasher Permit Policy- 2011 for plain area of the Uttarakhand and Uttarakhand Stone Crasher, Screening Plant, Pulverizer, Mobile Stone Crasher Permit Policy- 2011 for hill area of the Uttarakhand as follows in the intrest of revenue mining development---

The Uttarakhand Stone Crasher, Screening Plant, Pulverizer, Mobile Stone Crasher Permit Policy- 2015

Short Title and Commencement

1. (1) These Policies may be called the Uttarakhand Stone Crasher, Screening Plant, Pulverizer, Mobile Stone Crasher Permit Policy-2015.

(2) It shall come into force at once.

Definitions

2. In these policies, unless the context otherwise requires,--

(a) **"Governor"** means the Governor of the Uttrakhand ;

(b) **"Collector"** means the chief in-charge of administration of a any district revenue officer;

(c) **"Government"** means the State Government of Uttarakhand;

(d) **"Commissioner"** means the chief in-charge of administration of revenue officer in any divisions;

(e) **"Local officer"** means the Nagar Panchayat, Municipality, Municipal corporation and bodies of district board or other authorities, who is legally entitle of management or control by vest in the Nagar Panchayat, Municipality, Municipal corporation and district panchayat respectively;

(f) **"persons"** included any company or community or person bodies whether corporate or not;

(g) "word and expressions" not defined but defined in the act shall have the meaning assigned to them in the Act;

(h) **"Hills area" (Zone-A)** means including district Uttarkashi, Chamoli, Rudrapryag, Bageshwar and Pithoragarh;

(i) **"Middle hill area" (Zone-B)** means including district Tehri Garhwal, (except plains of the Tehsil Narendranagar) Pauri Garhwal (except plains areas of the Tehsil Kotdwar), Almora (all area), Champawat (except plains areas of the Tehsil Purnagiri), district Nainital (except plains areas of the Tehsil Haldwani, Kaladhungi and Ramnagar), district Dehradun (except plains areas of the Tehsil Rishikesh, Doiwala, Dehradun, Vikasnagar and Kalsi);

(j) **"Plain Area" (Zone-C)** means including district Tehri Garhwal, (plains area of the Tehsil Narendranagar) Pauri Garhwal (plains areas of the Tehsil Kotdwar), Champawat (plains areas of Tehsil Purnagiri), district Nainital (plains areas of the Tehsil Haldwani, Kaladhungi and Ramnagar), district Dehradun (plains areas of Tehsil Rishikesh, Doiwala, Dehradun, Vikasnagar and Kalsi), all areas of district Haridwar and district Udham Singh Nagar .

Mobile Stone crasher

3. The mobile stone crasher shall be sanctioned for the period of maximum 12 month for the special work in hilly and middle hilly areas by the name of BRO, ITBP and other Governmental departments. The mobile stone crasher shall be establish at such places where other stone crasher is not established / running upto the 20 kilometer. The mobile stone crasher shall be issue by the name of applicant only by Governmental institutions and now no allotment shall be made by the name of any contractor and the professional use of the production of mobile stone crasher shall not be made.

Committee for site selection

4. A Committee shall be constituted for enquiry of the selection place and place as follows—

- SDM of the proposed instrumental area- Chairman;
- concerning DFO or his nominee- Member;
- Nominee of the Uttrakhand Pollution Control Board - Member;
- Nominee of the district task force office of the Geologist – member;
- Concerning mining officer/ mining inspector - member-secretary.

for standard of Stone crasher / screening plant and pulverizer

5. the following standard shall be for Stone crasher / screening plant and pulverizer --

S.N.	Place	for Hills area (Zone-A) at plant minimum distance in meter		for middle hills area (Zone-B) at plant minimum distance in meter		for plains area (Zone-C) at plant minimum distance in meter	
1	2	3		4		5	
		stone crasher/screening plant	pulverizer	stone crasher/ screening plant	pulverizer	stone crasher/ screening plant	pulverizer
1	State Forest	10 meter	-	50 meter	50 meter	100 meter	100 meter
2	(a) by side of perennial river	-	-	50 meter	50 meter	300 meter	100 meter
	(b) by side of rain river, stream and river	-	-	25 meter	25 meter	50 meter	100 meter
3	Religious place (temple, mosque, Gurudwara, Charch etc.)	25 meter	25 meter	50 meter	50 meter	300 meter	100 meter
4	school, educational institutions, hospital and	50 meter	50 meter	100 meter	100 meter	300 meter	100 meter

L.

	nursing home,						
5	A house for a family residential building/ multiple family house	50 meter	50 meter	100 meter	100 meter	300 meter	100 meter

Note- **(a)** The Mobile stone crasher standard shall be establishment for to the of distance of hill area (zone-A) .

(b) The constituted committee shall not be recommendation of examinations in any case.

Establishment of screening plant of the area of the Doon valley

6. The stone crasher shall not be established in the district Dehradun, due to pollution but screening plant the RBM (mixed as a sand, Bajri and Boulder) be separated by washing sand, Bajri and Boulder, the permission may be made according the provisions of this Policy.

Minimum area and capacity for stone crasher/ screening plant and pulverizer unit

7 Minimum area and capacity shall be for the stone crasher/ screening plant and pulverizer unit, following---

S. N.	**plants**	**for Hills area (Zone-A) at plant minimum areas in hector**	**for middle hills area (Zone-B) at plant minimum areas in hector**	**for plains area (Zone-C) at plant minimum areas in hector**
1	2	3	4	5
1	Stone crasher	0.02 hector (per day capacity of 200 tonne)	1.00 hector (capacity in 200 tonne per day)	2.0 hector (capacity in 200 tonne per day)
		each 200 additional tonne or part there of additional 0.25 hector (more than 200 tonne per day)	each 200 additional tonne or part there of additional 0.25 hector (more than 200 tonne per day)	each 200 additional tonne or part there of additional $^1/_2$ hector (more than 200 tonne per day)
2	Screening plant	0.01 hector (per day capacity of 200 tonne)	1.00 hector (per day capacity of 200 tonne)	2.0 hector (per day capacity of 200 tonne)
		each 200 additional tonne or part there of additional 0.01 hector (more than 200 tonne per day)	each 200 additional tonne or part there of additional 0.25 hector (more than 200 tonne per day)	each 200 additional tonne or part there of additional $^1/_2$ hector (more than 200 tonne per day)
3	Pulverizer	0.01 hector (per day capacity of 200 tonne)	0.5 hector (per day capacity of 200 tonne)	1.00 hector (per day capacity of 200 tonne)
		each 200 additional	each 200 additional tonne	each 200 additional

		tonne or part there of additional 0.01 hector (more than 200 tonne per day)	or part there of additional 0.25 hector (more than 200 tonne per day)	tonne or part there of additional $^{1}/_{2}$ hector (more than 200 tonne per day)

objections received in respect application for refutation of stone crasher, screening plant and pulverizer

8. The applicant shall publish a communiqué in a local newspaper within three days from the date of presentation of the application on prescribed form in the office of district magistrate for obtain permission to storage in his own expenses in which applicant name, address full detail of applicant place be include that if any local person /institutions/ department etc. who is false within the 100 meter distance and aggrieved with the establishment/ running of stone crasher, screening plant and Pulverizer on the said place have any objection, than he can produce his objection before the district magistrate and senior mining officer / mining officer department of geology and mining department within the 15 days of the advertisement of the said communiqué. After the published communiqué if any objection obtained from any local person / institution/ department etc. then the sub-district magistrate and mining officer of the concerning district after hearing the applicant and objector shall intimate to the district magistrate for reasonable decision which be forwarded with recommendation to the director and after that the proposal shall be provide to the State Government by the director.

application and application fee/ renewal fee for stone crasher, screening plant and pulverizer

9. Application and application fee/ renewal fee shall be following for stone crasher, screening plant and pulverizer---

S. N.	equipment	application / renewal fee for Hills area (Zone-A)	application / renewal fee for Hills area (Zone-B)	application / renewal fee for Hills area (Zone-C)
1	2	3	4	5
1	Stone crasher	₹ 2.50 lakh (per day capacity of 200 tonne)	₹ 5.00 lakh (capacity in 200 tonne per day)	₹ 10.00 lakh (capacity in 200 tonne per day)
		₹ 50,000.00 (each 100 additional tonne or more on his part)	₹ 1.00 lakh (each 100 additional tonne or more on his part)	₹ 2.00 lakh (each 100 additional tonne or more on his part)
2	Screening plant	₹ 1.00 lakh (per day capacity of 200 tonne)	₹ 2.50 lakh (per day capacity of 200 tonne)	₹ 10.00 lakh (per day capacity of 200 tonne)
		₹ 10,000.00 (each 100 additional tonne or	₹ 50,000.00 (each 100 additional tonne or more	₹ 2.00 lakh (each 100 additional tonne or more

4.

		more on his part)	on his part)	on his part)
3	Pulverizer	₹ 2.00 lakh (per day capacity of 200 tonne)	₹ 5.00 lakh (capacity in 200 tonne per day)	₹ 10.00 lakh (capacity in 200 tonne per day)
		₹ 10,000.00 (each 100 additional tonne or more on his part)	₹ 50,000.00 lakh (each 100 additional tonne or more on his part)	₹ 2.00 lakh (each 100 additional tonne or more on his part)

Note- The application fee for mobile stone crasher with the 200 tonne per day Rs. 1,00,000.00 (one lakh) and for additional 100 tonne or any there part ₹ 50,000.00 shall be paid additional.

For establishment / running of stone crasher, screening plant, pulverizer and mobile stone crasher the application fee/ renewal fee shall be deposited in the office of district magistrate, director, geology and mining department and deputy director mining of the concerning district and a application in the prescribed proforma in triple copy which includes revenue map and site plant of the proposed instrument in the head of 0853 – non-iron metal mining metal work industry.

The detail of accounts of revenue receipt from the establishment / operation of the stone crasher, screening plant, pulverizer and mobile stone crasher in the office of deputy director, mining, geology and mining department. The terminal detail of accounts of revenue receipt shall be forward to the office of director, geology and mining department by the deputy director mining and annual accounts of revenue receipt and the end of financial year shall be provide to the Government by the director, geology and mining.

Raw materials /finished materials of stores and transport in the stone crasher/ screening plant/ Pulverizer/ mobile stone crasher

10. (a) The raw material/prepared material of storage and transportations of stone crasher/ screening plant/pulverizer/ mobile stone crasher shall be under the provisions of the Uttarakhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) (Amendment) Rules, 2005, (as amended from time to time) which inspection of records and storage shall be made by the district magistrate/ additional district magistrate/ SDM/ senior mining officer/ mining officer/ mining inspector (authorised district by the director geology and mining).

(b) In the campus of stone crasher/ screening plant precinct within the minimum 15 feet and in the precinct of height not more than 13 feet shall not be storage. If the storage of raw materials / prepared

materials is found than up to Rs. 2 lakh of fine shall be imposed to the owner of stone crasher/ screening plant who is deposited in the prescribed mining account head.

(c) The owner of stone crasher/ screening plant/ pulverizer / mobile stone crasher plant establish computerized standard balance and CCTV camera on the entrance and exists gates in his own expenditure and shall produce CD of the recording in every month in the office of the district magistrate and district office of the geology and mining directorate and intimate to the Government accordingly.

(d) The monthly statement of bye miner mine RBM and sale crushed grit etc. shall be produced in the office of district magistrate, commercial department and geologist and mining directorate in the prescribed form in every month by the owner of stone crasher/ screening plant/ pulverizer / mobile stone crasher plant. Failure of non-produce of the monthly detail Rs. 5000.00 per month fine be punishable.

(e) On the transportation/ releasing of sand or Bajri or boulder or their production (by means raw materials/ hard materials) by the operator of stone crasher/ screening plant royalty equivalent 2% provide in the Uttarakhand Miner Mine Concession Rules, 2001(as amended from time to time) to sand or Bajri or bolder shall be necessarily deposited as a environmental and mining property fee in addition in the prescribed account head 0853- non-iron metal mining metal work industry.

(f) On the transportation/ releasing of soapstone and other mining (limestone etc.) or their production (by means raw materials/ hard materials) by the operator of Pulverizer royalty equivalent 2% provide in the Uttarakhand Miner Mine Concession Rules, 2001(as amended from time to time) to soapstone shall be necessarily deposited as a environmental and mining property fee in addition in the prescribed account head 0853- non-iron metal mining metal work industry.

Liability of the owner of stone crasher/ screening plant/ puverizer/

11. (1) (a) The boundary wall of the campus of stone crasher plants/ screening plant equipment should be established in the middle.

(b) The Pulverizer equipment should be established in closed room of boundary of the campus.

mobile stone crasher

(2) The construction of minimum 15 feet boundary wall shall be made in the radios of in all side of the stone crasher plant/ screening plant unit. Within the boundary wall of the minimum 15 fee height upto maximum 13 feet height may be made storage of raw materials of prepared materials. If the necessity of storage of prepared of raw materials more than height from 13 feet in the campus unit than the height of boundary wall should be extended according the height of raw and prepared materials in of 2 feet per one feet. The design of boundary wall should be prepared by the obtaining approval from the appropriate authority. The verification of height shall be made from the representative of pollution control board and mining officer / mining inspector, geology and mining department authorised by the director geologist and mining for the concern district.

(3) The dust extractors from stone crasher/screening plant/ pulverizer/ mobile stone crasher or method to prevent dust extractors in the air shall be use as per production limit.

(4) To reduce sound pollution in the stone crashing equipment shall be established in the chamber of closed to walls.

(5) The all routs within the stone crasher/ screening plant/ mobile stone crasher be mattered stone.

(6) Management of dust extractors within the all area of precinct of stone crasher and regular watering by sprinkling be made by the stone crasher owner in which the dust extractors cannot fly in the air.

(7) The maximum 7 to 10 meter breadth green three line in the boundary wall for development and their protection the trees who is prevent the dust extractors shall be protected and this proceeding shall be commence with the permission and shall be completed within the period of six month from the date of operation of the equipment.

(8) The dust extractors and to control sound pollution methods and other equipment shall be establish by the owner of stone crasher/ screening plants/ pulverizer/ mobile stone crasher in

his own expenditure. The responsibility maintaining prevent the dust extractors and sound pollution shall be order of the plant.

(9) To prevent air pollution in the preparation of raw or prepared storage of the stone crasher/ screening plant/ pulverizer/ mobile stone crasher, the owner of plant shall also be manage for this point.

(10) The owner shall apply for renewal with prescribed fee prior of the six month of the date of completing the period of license of the stone crasher, screening plant and pulverizer. After that the recommendation made by the district magistrate and the director geologist and mining, the permission for renewal shall be sanctioned by the State Government.

Standard of sound pollution

12. The all standard mentioned in the orders / Act enacted from time to time by the Central Government and State Government under the Environment Protection Act, 1986 shall be followed by the owner of stone crasher/ screening plant/ pulverizer/ mobile stone crasher.

The control of stone crasher/ screening plant/ pulverizer/ mobile stone crasher environment pollution

13. For the implementation of the Environment Protection Act, 1986 the owner of stone crasher/ screening plant/ pulverizer/ mobile stone crasher shall ensure the control of SPM and according the air quality, sound counting standard. The report of maintaining these equipments shall be analyses and trials with the help of Uttrakhand Pollution Control Board according the provisions of Environment Protection Act, 1986 in every month.

Accepted of the permit of stone crasher/ screening plant/ Pulverizer / Mobile stone crasher

14. (a) The report of selected area by the Joint inspection of the Committee constitute by sub-district magistrate / mine officer mine inspector/ geologist, area officer environmental protection and pollution control board through member secretary for renewal of stone crasher / screening plant/ pulverizer/ mobile stone crasher and for establishment shall be forwarded to the concerning district magistrate and clear recommendation shall be forwarded to the director geologist and mining unit Dehradun by the district magistrate, the proposal shall be provided to the Government for the sanctioning at the level of

Government aforesaid recommendation by the director geologist and mining unit, in which after due consideration for a period of 5 years consider for a sanction.

(b) Stone crasher/ screening plant/ pulverizer/ mobile stone crasher be establish for the commercial purposes in the personal measurement land by the Government and sanction of storage place after issue the permission by the appropriate level for storage shall be forwarded to the concerning district magistrate. After such permission on the completion of such planning or beginning use there to in the case of storage side, the SDM shall entered automatically in the record of revenue under section 143 of the Uttar Pradesh Zamidari Abolition and Land Act.(as applicable to the State of Uttrakhand and as amended from time to time)

(c) After obtaining the permission from the Uttrakhand environment and pollution control board, with the recommendation of the director geologist and mining shall be sanction by the Government.

(d) Under the MSME the return shall be produced in the district industry of centre.

(e) The running stone crasher / screening plant/ pulverizer/ mobile stone crasher shall also be ensure the comply of the said standards.

(f) The running stone crasher / screening plant/ pulverizer/ mobile stone crasher be transfer upto the June, 2016 in new place. If they are not comply this point than his renewal of sanction will not be made for further time.

By order,

(Rakesh Sharma)

Additional Chief Secretary.